# काली तलाई में तालाब गहरीकरण का शुभारंभ

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जन अभियान परिषद के तत्वाधान में कराहल विकासखंड के ग्राम कालीतलाई में आज जल गंगा सवंर्धन अभियान के अन्तर्गत ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा जन सहयोग से तालाब का गहरीकरण कार्य की शुरूआत की गई।

जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम ने बताया कि कराहल बलॉक में गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत नवांकुर संस्थाओं एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समीतियों के बैनर तले जन सहयोग के श्रमदान से जल स्त्रोतों का गहरीकरण एवं साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जो कि जून माह तक अनवरत चलेगा।

इसी क्रम में आज कालीतलाई के तालाब में श्रमदान कर तालाब गहरीकरण के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सरपंच सुरेश आदिवासी, मेंटर्स प्रमोद तिवारी, दीपक दुबे, नवांकुर सखियां एवं ग्रामीणजन द्वारा श्रमदान कार्यक्रम में सहभागिता की गई। इस दौरान ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम द्वारा जल संरक्षण की शपथ दिलवाई गई।

# सांदिपनी विद्यालय में पुरुस्कार वितरण कार्यकम आयोजित

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जल गंगा सवर्धन अभियान के अन्तर्गत गत 8 एवं 9 अप्रैल को सांदीपनि विद्यालय श्योपुर में जल संरक्षण विषय पर आयोजित चित्रकला, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगरपालिका श्योपुर द्वारा पुरूस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका श्योपुर के उपाध्यक्ष संजय महाना ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुये बताया कि जल ही जीवन है और इसका अपव्यय नहीं होना चाहिए, हम सभी का कर्तव्य है कि पानी की एक एक बूंद का संरक्षण करें, इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओ एवं शिक्षको को जल संरक्षण हेतु शपथ भी दिलवाई।

इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए प्रगति बैरवा, अवनी सक्सैना, और पावनि जाट तथा द्वितीय स्थान के लिए समष्टी एवं वैशाली बैरवा तथा तृतीय स्थान के लिए श्रेया गर्ग को पुरूस्कृत किया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए राधिका प्रजापति, द्वितीय स्थान के लिए श्रेया जाट, तृतीय स्थान के लिए यविका जाट को पुरूस्कृत किया।

इसी प्रकार जल संरक्षण पर आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर रही कोरल जाट, एवं द्वितीय स्थान पर रही दर्शनी खण्डेलवाल एवं जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान के लिए राधिका प्रजापति, द्वितीय स्थान के लिए राज सेन को पुरूस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत प्राचार्य नरेन्द्र सिंह जाट एवं प्रमोद सिंह सिकरवार, जिला स्काउट कमिश्नर डीके सक्सैना, कार्यकम के नोडल अधिकारी आदित्य चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सांदिपनी विद्यालय के प्राचार्य अशोक खण्डेलवाल ने आभार व्यक्त किया कार्यकम का संचालन सोनू जैन ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

# मेहंदी रचाकर दिया जल संरक्षण का संदेश

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जन अभियान परिषद द्वारा जल संरक्षण विषय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जल शक्ति से नवभक्ति कार्यक्रम के तहत कराहल मुख्यालय के पीतमपुरा गोबर्धा गाँव में नवांकुर सखियों द्वारा हाथो में मेंहदी के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता से संबंधित स्लोगन रचाकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया तथा ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नीतू गौतम ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कराहल ब्लॉक में जल स्त्रोतों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा, देवी गीत, भजन संध्या, दीपमाला, मानस पाठ, संकीर्तन, आरती आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

# एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक आयोजित

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** कलेक्टर श्री वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनीटरिंग समिति की त्रैमासिक

**राहत प्रकरणों में 112 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत**

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में शीघ्रता से विवेचना करते हुए यथासमय प्रकरण संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाये तथा अधिनियम के तहत पीडित व्यक्ति को राहत राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एससी, एसटी अत्याचार निवारण अंतर्गत आयोजित बैठक में एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, एसडीएम कराहल बीएस श्रीवास्तव, एसडीओपी बडौदा अनवीत शर्मा, सहायक आयुक्त आदिम कल्याण राकेश गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एससी, एसटी के 86 प्रकरणों में 112 लाख रूपये राहत राशि स्वीकृत की गई।

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने निर्देश दिये कि जिन प्रकरणों में एससी, एसटी जाति प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, उनमें प्रमाण पत्र बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत अनूसुचित जनजाति के 15 प्रकरणों में 24 लाख रूपये तथा अनुसूचित जाति के 71 प्रकरणों में 88 लाख रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गई।

# ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने निर्देश दिये कि जल संचय जनभागीदारी 2.0 पोर्टल पर जल संरक्षण अंतर्गत संचालित कार्यो के फोटो सतत् रूप से अपलोड किये जायें।

उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि योजना के प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण करने हेतु वाटरशेड के उपयंत्री एवं ब्लॉक कोर्डिनेटर को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार शासकीय भवनो, पंचायत भवन, आंगनबाडी भवनों आदि पर रूफ वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, ग्राम पंचायतो के प्रमुख स्थानो पर प्याउ की स्थापना करने तथा आरजीएस योजनांतग्रत स्वीकृत अटल पंचायत भवन के कार्यो को 01 माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक में आरईएस विभाग सहित जनपद पंचायतों के सीईओ तथा जिला पंचायत के समस्त योजना प्रभारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, एपीओ, एएओ, बीसी एसबीएम, पीएमएवायजी, एडीईओ, पीसीओ आदि उपस्थित रहे।

## एक नजर में

### 8वें पोषण पखवाड़े का शुभारंभ

**श्योपुर, 10 अप्रैल।** केन्द्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा आज 8वे पोषण पखवाडे का राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअली शुभारंभ किया गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में निषादराज भवन जिला पंचायत परिसर श्योपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण संपन्न हुआ। महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में निषादराज भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सहायक संचालक रिशु सुमन, सीडीपीओ नितिन मित्तल एवं श्रीमती सुषमा सोनी, सीडब्ल्यूसी सदस्य गणेश पाराशर आदि उपस्थित रहें। स्वथ्य जीवन के लिए सही पोषण पर आधारित 8वां पोषण पखवाडा 09 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जायेगा, जिसके तहत आंगनबाडी केन्द्रों पर मातृ एवं शिशु पोषण प्रारंभिक मष्तिक विकास, प्रारंभिक बाल्यवस्था, विकास एवं जागरूकता आदि की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए शपथ भी ली गई।

### खेत में घोड़ी छोड़ने पर मारपीट

**श्योपुर।** थाना कराहल मारपीट फरि. खुशी पुत्र ब्रजमोहन यादव उम्र 23 साल नि. बाड़ थाना कराहल ने रिपोर्ट की कि दि. 06.04.26 के 23.00 बजे स्थान फरि का खेत ग्राम बाड़ पर आरोपीगण, करौजी धाकड़, संतोष धाकड़ नि.गण खिरखिरी थाना कराहल ने फरि को खेत मे घोड़ी छोड़ने की बात को लेकर गंदी - गंदी गालियां दी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। दि. 07.04.26 के 02.01 बजे अप.क्र. 26/26 धारा 296 (ए), 115 (2), 351 (2), 3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

### पुरानी रंजिश पर मारपीट

**श्योपुर।** थाना देहात मारपीट फरि. सुरेन्द्र पुत्र नरेन्द्र सिंह जाट सिख उम्र 60 साल नि. सेमल्दा हवेली थाना देहात ने रिपोर्ट की कि दि. 07.04.26 के 16.00 बजे स्थान फरि का खेत ग्राम सेमल्दा हवेली पर आरोपीगण, मनफूल आदिवासी, इन्दर आदिवासी, रामदेव आदिवासी नि.गण सेमल्दा हवेली ने पुरानी रंजिश की बात को लेकर गंदी गंदी गालियां दी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। दि. 07.04.26 के 17.09 बजे अप.क्र. 79/26 धारा 296 (ए), 115 (2), 351(2), 3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

### रंजिशन की मारपीट

**श्योपुर।** थाना देहात मारपीट फरि. मनफूल पुत्र कृष्णा आदिवासी उम्र 62 साल नि. सेमल्दा हवेली ने रिपोर्ट की कि दि. 07.04.26 के 16.00 बजे स्थान फरि का खेत ग्राम सेमल्दा हवेली पर आरोपीगण, सुरेन्द्र सिंह जाट सिख, गोपी जाट सिख नि.गण सेमल्दा हवेली ने पुरानी रंजिश की बात को लेकर गंदी गंदी गालियां दी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। दि. 07.04.26 के 18.36 बजे अप.क्र. 80/26 धारा 296 (ए), 115(2), 351(2), 3 (5) बीएनएस, 3(1)द, 3 (1)ध, 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट कायम कर लिया है।

### 07 ली. अवैध शराब जप्त

श्योपुर। थाना ढोढर अवैध शराब पकड़ी आरोपी काडू उर्फठाकुर बंजारा पुत्र गज्जा बंजारा उम्र 35 साल नि. आमली का सहराना को दि. 08.04.26 के 11.35 बजे स्थान आमली सहराना रेल्वे क्रोसिंग के पास कब्जे से हा.भ. बनी कच्ची शराब 07 ली. कीमती 700/- रु. की जप्त की। दि. 08.04.26 के 13.01 बजे अप. क्र. 30/26 धारा 34 आब. एक्ट कामय कर लिया है।

## घर के सामने मरम डालने की बात को लेकर मारपीट

**श्योपुर, 10 अप्रैल।** थाना कराहल मारपीट फरि परमानंद पुत्र छमाराम कुशवाह उम्र 36 साल नि. रोहड़ी थाना कराहल ने रिपोर्ट की कि दि. 07.04.26 के 12.00 बजे स्थान फरि. के घर के सामने पर आरोपीगण, पप्पू कुशवाह, कमलेश कुशवाह नि.गण रोहडी थाना कराहल ने फरि. को घर के सामने मरम डालने की बात को लेकर गंदी - गंदी गालियां दी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। दि. 07.04.26 के 13.42 बजे अप.क्र. 27/26 धारा 296 (ए), 115(2),351(2), 3 (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

# कराहल एवं सहसराम में आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** राष्ट्रीय आयुष मिशन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर होम्योपैथी कराहल में होम्योपैथी के जनक डॉ. सैमुअल हैनिमैन की 271 वी जयंती एवं विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर विशाल होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

जिला आयुष अधिकारी डॉ जीपी वर्मा ने बताया कि शिविर मे आम जनमानस को होम्योपैथी उपचार पद्धति के बारे में विस्तार से अवगत कराया ताकि होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हों। शिविर में बीपी शुगर, हीमोग्लोबिन, वजन, बीपी की जांच कर परामर्श एवं नि:शुल्क होम्योपैथी औषधि वितरित की गई। शिविर के माध्यम से लोगों को डाइट एवं ऋतुचर्या, दिनचर्या तथा योग की जानकारी दी गई। शिविर का शुभारंभ आयुष जन आरोग्य समिति की अध्यक्ष श्रीमति उर्मिला डॉभास्कर सरपंच कराहल ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में डॉ कौशल श्रीवास्तव, डॉ कुंज बिहारी नागर, डॉ अबरार मोहम्मद खान ने 141 पुरुष एवं 66 महिला सहित कुल 207 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस शिविर में सुनील कुमार पाण्डे, दीतू पटेलिया, धर्मेंद्र सिंह परमार, आदर्श बाजुल्ला उपस्थित रहे।

### 161 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर औषधि प्रदान की

इसी क्रम में शासकीय होम्योपैथी औषधालय सहसराम में भी शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि रामवरण सिंह यादव, प्राचार्य मुकेश शर्मा, डॉ भूपेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहें। शिविर में डॉ अनूप कुमार सोनी, डॉ दीपक कुमार बॉथम, विजय दुबे, करण शाक्य, फेरन सिंह यादव की टीम द्वारा 101 पुरुष एवं 60 महिला सहित कुल 161 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर औषधि प्रदान की गई।

# मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान जारी

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एनएस बिंदल के निर्देशन में जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही है।

इसी क्रम में एमटीएस अरविन्द गर्ग द्वारा ग्राम मठेपुरा, गुवाड़ी, अजापुरा एवं राडेप का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान संबंधित आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम से संपर्क कर मलेरिया संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्हें निर्देशित किया गया कि वे समुदाय में नियमित रूप से भ्रमण कर बुखार से पीड़ित मरीजों की मलेरिया किट से जांच सुनिश्चित करें। इस दौरान ग्रामीणों को मलेरिया एवं मच्छरजनित रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। लोगों को मच्छरदानी का नियमित उपयोग करने, घर के आसपास पानी जमा न होने देने तथा शाम के समय नीम की पत्तियों का धुआं करने हेतु प्रेरित किया गया। श्री गर्ग द्वारा मलेरिया उन्मूलन की विस्तृत जानकारी देते हुए उपचार नीति भी समझाई गई। उन्होंने बताया कि च्कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता हैज्, अत: बुखार आने पर तुरंत खून की जांच कराना आवश्यक है। साथ ही मलेरिया रोगी मिलने पर त्वरित उपचार एवं आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं एवं आमजन से सहयोग की अपील की गई।

### बालिग होने पर ही विवाह करने की दी समझाइश

**श्योपुर, 10 अप्रैल।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम के हेतु विशेष अभियान चलाने दिये गये निर्देशो के क्रम में महिला बाल विकास विभाग कराहल की टीम द्वारा ग्राम आवदा में बाल विवाह की जानकारी सामने आने पर मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी गई। प्रभारी सीडीपीओ श्रीमती सुषमा सोनी के नेतृत्व में सीडब्ल्यूडी सदस्य गणेश पाराशर सहित पुलिस एवं पंचायत की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बालिका के पिता बलराम आदिवासी को समझाइश दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही विवाह किया जायें। समझाइश के बाद बालिका के माता-पिता द्वारा टीम के सामने सहमति व्यक्त की गई कि बेटी का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही करेंगे तथा फिलहाल विवाह नही किया जायेगा।

# संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के निर्देश

**नवभारत न्यूज**
**श्योपुर, 10 अप्रैल।** सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह

**अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक आयोजित**

की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये है। बाल विवाह की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सतत् रूप से निगरानी रखे जाने तथा जागरूकता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य सहित महिला बाल विकास विभाग, डीपीसी, एनआरएलएम, स्वास्थ्य विभाग, जनजाति कार्य विभाग, आरजीएसए आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा जनपद स्तरीय अधिकारी तथा सीईओ जनपद पंचायत, सीडीपीओ आदि वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल रहे।

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने निर्देश दिये कि अक्षय तृतीया तथा अन्य विशेष तिथियों में आयोजित होने वाले सामुहिक विवाह सम्मेलनों सहित अन्य विवाहों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायें, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता करते हुए लोगों को बाल विवाह नही करने, उन्हें रोकने तथा सूचना देने के लिए प्रेरित किया जायें। बाल विवाह की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 एवं 112 पर सूचना प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जिला एवं जनपद स्तर पर कन्ट्रोलरूम स्थापित करते हुए दूरभाष नंबर जारी किये जायें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कॉलेजों, स्कूलों में बाल विवाह के दुष्परिणामों पर तथा बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

अक्षय तृतीया तक 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामों में रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायें, सामुहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन से पूर्व वर-वधुओं की आयु का सत्यापन सुनिश्चित किया जायें तथा आयोजन की अनुमति संबंधित एसडीएम से प्राप्त की जायें। आयोजको की पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी बैठक में दिये गये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 13 अप्रैल को श्योपुर 15 अप्रैल को कराहल तथा 16 अप्रैल को विजयपुर में महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से बैठके आयोजित की जायें। लोगों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जायें, जिसके तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम अंतर्गत दोषियों पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान है तथा दो लाख रूपये तक जुर्माना एवं कारावास शामिल है।